भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1424
02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं

1424. श्री तेजवीर सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग में उत्पादन वृद्धि के लिए कोई विशेष योजनाएं या पहलें शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। देश में इस्पात के उत्पादन और खपत में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति (डीएमआईएंडएसपी) का कार्यान्वयन।
ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अनुमानित है।
iii. इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.07.2024 को 16 प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देश लॉन्च किए गए, जिनके परिणामस्वरूप प्रचालनों में सुरक्षित कार्य पद्धतियों को मानकीकृत करके इस्पात उद्योग को उत्पादकता वृद्धि में सहायता मिलेगी।
iv. घरेलू इस्पात उद्योग से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और एसआईएमएस 2.0 को दिनांक 25.07.2024 को लॉन्च किया गया।
v. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

जारी..... 2/-

vi. इस्पात विनिर्माण हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

vii. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

viii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने तथा आम जनता को बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

वर्ष 2030-31 के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 के तहत इस्पात उद्योग के लिए अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**मापदंड**	**अनुमान (2030 – 31) (मिलियन टन में)**
i.	कुल क्रूड इस्पात क्षमता	300
ii.	कुल क्रूड इस्पात उत्पादन	255
iii.	कुल तैयार इस्पात उत्पादन	230

****